(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

श्रीमती मधु बनाम तहसीलदार जोबनेर

किस्म मुकदमाः– अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नम्बरः 2022/366

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित है उनकी बहस एडमिशन पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि तहसीलदार जोबनेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही होने से हस्तगत अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस लौटाई जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु मूल ही वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	मूल पत्रावली मय दस्तावेजात सम्पूर्ण प्राप्त की (Manoj ...) 11/7/22